



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-45/2016- 1010 दिनांक : 07/8/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
गज परियोजना, जमशेदपुर

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "इको-टूरिज्म" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्वी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि से दलमा में इको-टूरिज्म के विकास कार्य हेतु कुल **143.572 (एक करोड़ तैंतालीस लाख सनतावन हजार दो सौ) रुपये** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-44/2016-71/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.03.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-44/2016-53/आ0 व0प0 दिनांक 16.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-46 इको-टूरिज्म योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **143.572 (एक करोड़ तैंतालीस लाख सनतावन हजार दो सौ) रुपये** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101460103	57.429
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101460323	86.143
कुल :-		143.572

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर होंगे, जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। वह इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601101460103 तथा 19S240601101460323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उप आवंटित की जा रही है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में वही कार्य करवाए जायेंगे, जिनके लिए स्वीकृत योजना में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य समपन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह के पाँच तारिख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।
8. योजना का कार्यान्वयन वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वन कार्य नियोजना के अंतर्गत Eco-Tourism Working Circle में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि वन अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं/ प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य सम्पादित किया जाना आवश्यक हो तो इसे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय/ योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं० 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 एवं वन विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

15. विभागीय संकल्प संख्या 4/यो0 बजट-42/2010-3916 दिनांक 13.09.2012 द्वारा निर्गत प्रावधानों के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वसभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापक- 01/यो0ब0-45/2016-10/0

दिनांक- 07/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापक- 01/यो0ब0-45/2016-10/0

दिनांक- 07/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जानी वाली इको-टॅरिज्म योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत दलमा का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी- उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर

Sl No.	Details of Work	Amount
i	ii	iii
Financial Year 2016-17 (Phase-I)		
A 1.	Main entrance gate at dalma Wildlife Sanctuary	11.02
	And main entrance gate civil work	1.543
	Inner entrance gate of dalma wildlife Sanctury	9.82
2	And inner entrance gate civil work	0.693
3	Life size fiberglass model of asiatic elephant family (male, female and calf elephant)	16.93
4	Renovation of old forest rest house (2 no block) at Makulakocha	7.539
5	Renovation of dinning hall in old FRH at Makullakocha	3.533
6	Renovation of cottage non A/C cottage with toilet & floor finishing at Makuakocha	8.698
7	Renovation of guest house cottage with toilet & floor finishing at Pindraber and stair repairing at Shiva mandir	7.403
8	Renovation of three bed room cottage 2 no at Pindraber	10.386
9	Provision of deep bore boring 500M deep and extra pipe line 1500 feet drinking water facilities at Pindraber/Shiv mandir	6.606
10	Proposed small gagebo (10 no) at Pindraber and top Shiv mandir	2.989
11	Provision exploratory trail	5.138
12	Renovation of bamboo house at Mukulakocha	6.5
13	Nature trail	6.804
	Total (A):-	105.602
	Add labour Contigeny @ 1% of A	1.056
	Add labour cess @ 1% of A	1.056
	Total :-	107.714
	Consultancy Charges	
	Up to 1 Corre @ 1.35	1.35
	Between to 5 croes @ 1.25	0.07
	Total :-	1.420
	Service Tax @ 15%	0.213
	Total Consultancy fee of A	1.633
	Sub Total:-	109.347
Financial Year 2017-18 (Phase-II)		
B 1	Ground floor existing renovation and extension building on first floor for interpretation center at Makulakocha (depicting type major geographical feature and forest type wild life and tree special display)	45.034
2	Extension of food plaza attached store and wash area at wild life education and research unit, campus, Makulakocha	3.114
3	Provision of boundry wall all around FRH cottage at Chakuliya	14.884



(125)

4	Provision of boring & storage: tank extra pipe 600'-0" at wild life education and research unit, campus, Makulakocha	3.521
5	Public toilet (gents/ladies) at Makulakocha Pindrabera/ Chkuliya and top Shiv mandir with drinking facilities	26.698
6	Proposed checkers tiles pathway in ECO Hut at wildlife education and research unit, campus at Makulakocha	14.509
7	Provision of resting shelter for pilgrims at Shiva Temple top	18.889
8	Provision of toilet for tourist accommodation in villagers at 5/6 village	7
9	Landscaping a wildlife education and reserch unit campus Makulakocha	14.5
Total (A):-		148.149

Add labou Contingency @ 1% of B

1.481

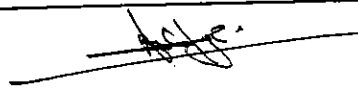
Add labour cess @ 1% of B

1.481

Total :-		151.111
	Consultancy Charges	
	Up to 1, Corre @ 1.35	1.35
	Between to 5 croes @ 1.25	0.602
Total :-		1.952
	Service Tax @ 15%	0.293
Total Consultancy fee of A		2.245
Sub Total:-		153.356

Financial Year 2018-19 (Phase-III)

C 1	3d Model of Elephant and its habitat	25.00
2	Back ground painting of diorama	5.00
3	Hardware and mechanism for light and sound show of diorama of main species Asiatic elephant	6.00
4	Content development and sound recording with special effects	4.00
5	Interior and furniture work of diorama	5.00
6	Entrance gate at wild life education and research unit	4.50
7	Design of Sinages & printing and instalation of signages (11+11)	3.00
8	Design of Sinages & Printing and installation of signages (25+25)	6.00
9	Furniture bences, table wooden logs	4.00
10	Children play area	6.00
11	Information panels at Makulakocha	5.00
12	Nest tree model with birds and their nest	4.50
13	Termite mound cross section model	3.50
14	Night sky observation point	1.50
15	Wildlife observatory point	4.50
16	Outdoor camping area with adventure sport	6.00
17	Tree house for birds watching	5.50
18	Canopy wolk	9.00
19	Interpretation exhibits for canopy walk	3.00
20	Watch tower for canopy walk	3.00
21	Proposed bamboo house cottage	9.43
22	Proposed sitting bamboo gazebo	1.71
23	Furniture	4.80
24	Kitchen accessories	2.75
25	Curtains, bed sheet pillow and mattresses	6.00
Total (A):-		138.690



124

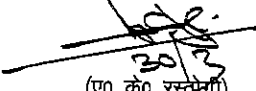
Add labour Contigency @ 1% of C

1.387

Add labour cess @ 1% of C

1.387

Total :-		141.464
Consultancy Charges		
Up to 1 Corre @ 1.35		1.35
Between to 5 croes @ 1.25		0.484
Total :-		1.834
Service Tax @ 15%		0.275
Total Consultancy fee of A		2.109
Sub Total:-		143.573
Grand Total:-		406.276


(ए० के० रस्वानी)
सरकार के विशेष सचिव



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दश : गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-45/2016/1010

दिनांक - 07-Aug-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101460103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : ECO - TOURISM (0989) Central Scheme : NA	43512	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	5,742,900.00 रुपये सत्तावन लाख बयालीस हजार नौ सौ
2	S 19 240601101460323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : ECO - TOURISM (0989) Central Scheme : NA	43513	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	8,614,300.00 रुपये छियासी लाख चौदह हजार तीन सौ
योग:				14,357,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ तीरयालीस लाख सत्तावन हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, D.D. (RANCHI)